न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

...सीन अधिकारी	:::	स्वाति (तहसीलदार)
मिसल नं.	:::	127/2022
सरकार	बनाम	विद्याधर पुत्र कन्हीराम, जाति– मेघवाल, निवासी– फरट

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 25.11.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वंय अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उनके भाई नरेश कुमार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल विद्याधर पुत्र कन्हीराम जाति– मेघवाल, निवासी– फरट द्वारा रोही मौजा फरट की भूमि ख.नं. 226 कुल रकबा 16.69 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.03 है0 भूमि पर पुख्ता मकान व चारदिवारी कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उनके भाई नरेश कुमार ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि प्रार्थी उक्त भूमि में कई वर्षो से आबाद है तथा पट्टे व विधुत बिल की प्रति भी प्रस्तुत की। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु.जोहड़ है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/ 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। गैर सायल ने अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया। गैर सायलान का जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 9 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)
तहसीलदार, सूरजगढ़

वि०वर्ष 22-23 के रा०लेखा 604
के पृष्ठ क्रमांक 19 पर राशि 09/Rs
जमा कायम की गई।
12/12/2022